न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

उमेश जांगिड़ आदि बनाम सांवरमल आदि

किस्म मुकदमा T.I. मु. नं. 66 वर्ष 2025

दिनांक | **आज्ञा-पत्र**

05/25

प्रार्थीगण की ओर से श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण आवश्यक प्रकृति का मानते हुए स्थगन दिये जाने के निवेदन किये जाने पर वकील प्रार्थीगण की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा करने का निवेदन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए वकील प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अंतरिम रूप से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त अंतरिम स्थगन प्रचलित रास्तों/कटान के रास्तों, जल/विद्युत संबंध, राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही आदि पर लागू नहीं होगा।

वकील प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीपक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि यह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3)(क) के प्रावधानों के अनुसार एकपक्षीय आदेश का युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर सम्भव यत्न करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिंग अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई हैं, में परिवर्तन की दशा में या अन्य कोई तथ्य ज्ञात होने पर संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक एडी. नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 19.06.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.23 09:09:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

उमेश जोशी आदि बनाम सोहनलाल मीणा

किस्म मुकद्दमा [illegible] मु. नं. 66 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा-पत्र
19/06/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 25/06/25 को पेश हो।
25/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/7/25 को पेश हो
10/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की प्रार्थना 2 [illegible] के जवाब [illegible] कार्यवाही पेश किया गया। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 31/7/25 को पेश हो
31/7/25 T.I. आवेदन चलाना नहीं चाहते हैं। योगेश कुमार उमेश जोशी [illegible] आवेदक T.I. आवेदन चलाना नहीं चाहते है। Radhakishan	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व पक्षकारों के [illegible] तलबी पेश होने पर पेशी के [illegible] उपस्थित वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण 2 व उपस्थित [illegible] पर [illegible] नहीं चलाना चाहते हैं अतः [illegible] के [illegible] तक [illegible] किया गया। वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण 2 को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया अतः [illegible] पत्रावली को [illegible] के [illegible] को अग्रिम [illegible] हेतु [illegible] पर वकील [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.23 09:09:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला-सीकर (राज.)